

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(94)नविवि/2024

जयपुर, दिनांक:

—:आदेश:—

राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(1)नविआ/II/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.11.2024 की अभिशंषानुसार निम्नांकित सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-16 में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क.सं.	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री भंवर सिंह	ST	2022-2023	01.04.2022
2.	श्री राकेश कुमार		2022-2023	01.04.2022
3.	श्री पंकज कुशवाह		2022-2023	01.08.2022
4.	श्री मोहम्मद शोएब खान		2022-2023	01.01.2023
5.	श्री सुरेश जैन		2023-2024	01.04.2023
6.	श्री साहब राम जोशी		2023-2024	01.05.2023
7.	श्री नरेश शेखर	SC	2023-2024	01.02.2024
8.	श्री राकेश सिडाना		2024-2025	01.04.2024
9.	श्री रामप्रसाद जाट		2024-2025	01.04.2024
10.	श्री कृष्ण गोपाल नागर		2024-2025	01.04.2024
11.	डॉ. रामकुमार लोधा		2024-2025	01.04.2024
12.	श्री महेन्द्र सक्सैना		2024-2025	01.07.2024
13.	श्री नन्दकिशोर भार्गव		2024-2025	01.08.2024
14.	श्री प्रवीण कुमार	ST	2024-2025	01.09.2024
15.	श्री संजय मीणा	ST	2024-2025	01.01.2025

उपरोक्त अभियन्ताओं की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार- I)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त/सचिव समस्त न्यास/प्राधिकरण को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
4. संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय